सेवकराम / रामकरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/01/2021	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र सुनी गयी। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि० 15/01/2021 को पेश हो।	
15/1/2021	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) CPC व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC सुनी गई। प्रार्थी रामविलास की ओर से अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) CPC पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.2.20 को रजिस्ट्री वाद में बतायी गयी भूमि ख. नं 45 रकबा 8.02 बीघा को मूल खातेदार रामकरण जी से रजिस्टर्ड दस्तावेज के मार्फत खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था और आज भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। उक्त भूमि बेचानकर्ता के बेर व हिस्से की भूमि थी यानि बेरवाद में बेर में आती थी। वादी ने प्रतिवादी से सांठ-गांठ कर प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि पर माननीय न्यायालय के समक्ष सत्यता को छिपाकर स्थगन प्राप्त किया है जब कि वादी का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हित अधिकार नहीं है। प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि प्रार्थी के कब्जे में है, प्रार्थी खातेदार है, उक्त दावे से प्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है, अतः निवेदन है कि वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए प्रार्थी रामविलास को उपरोक्त वाद-पत्र में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए जाने का आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थी (वादी) ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। क्यों कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय में दिनांक 17.2.2020 की ख. सं. 45 रकबा 8.02 बीघा की रजि. की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है। प्रार्थना-पत्र का पद संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार है। [illegible] 03 गलत होने से अस्वीकार है क्यों कि रामविलास ने खरीदशुदा भूमि का [illegible] नहीं किया है अतः प्रार्थी का [illegible] (2) खारिज करने का आदेश प्रदान करावें। उक्त वाद में प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 1) रामकरण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 पेश किया था कि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 17:56:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम [illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी [illegible]

उपरोक्त अनुबन्ध में निवारित भूमि ग्राम ढहेसरी की वादी व प्रतिवादी संख्या एक की अलग-अलग खातेदारी व कब्जा काश्त की है, वादी व प्रतिवादीगणों का खेत पास-पास नहीं है वाद में वर्णित भूमि ख.सं. 45 रकबा 0.02 बीघा, ख.सं. 209 रकबा 0.13 बीघा, ख.नं. 275 रकबा 0.08 बीघा व ख.नं. 477 रकबा 0.18 बीघा पर वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा न ही कब्जा काश्त है तथा वादी ने उपरोक्त खसरान पर अपने हक होने व खातेदारी घोषणा का दावा भी नहीं है इसलिए बिना खातेदार काश्तकार स्थाई निषेधाज्ञा का दावा भी चलने योग्य नहीं है, इसलिए दावा खारिज किया जाए। वादी ने ग्राम ढहेसरी की भूमि ख.सं. 45, 209 व 477 के संबंध में वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध खिलाफ सूर पेश किया है जो प्रतिवादीगण को हैरान-परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है, जो भारी हर्जा खर्चा के साथ खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों तथा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। वाद-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद में वर्णित अराजी बाबत प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किए जाने की इस्तदुआ की है। पत्रावली में मौजूद जमाबंदी संवत 2058-2061 के खाता संख्या 209 का अवलोकन करने पर पाया गया कि ख.सं. 45, 209, 275 व 477 की भूमि प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 01) की खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थी (वादी) इन खसरो की भूमि का अभिलिखित खातेदार नहीं है। अप्रार्थी (वादी) द्वारा इन खसरों पर अपना कब्जा-काश्त होने संबंधी भी कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किए हैं। जो व्यक्ति किसी भूमि का न तो अभिलिखित खातेदार है और न ही [illegible] उसके कब्जे काश्त में है [illegible] भूमि के [illegible] वह स्थायी [illegible] वाद फाइल नहीं कर सकता [illegible] प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 01) का प्रार्थना पत्र विधि संगत प्रतीत होने से हम उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 17:56:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भोपालगढ़

सेठाराम बनाम रामकरण

मुकदमा 188 RT Act नं. 8 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्शियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 01) का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सही होने के कारण स्वीकार किया जाता है। राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अनुसार केवल अभिलिखित खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। चूँकि अप्रार्थी (वादी) खसरा संख्या 45, 209, 275 व 477 का अभिलिखित खातेदार नहीं है, अतः वाद वादी धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 से बाधित होने से वादी का वाद-पत्र अस्वीकार किया जाता है। बाद पत्रावली फैसल कुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर आखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 17:56:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner